राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता), प्रतापगढ़ राजस्थान

EMAIL :- dm-pra-rj@nic.in दुरभाषनम्बर :– 01478–222233

क्रमांकः सहा. / बाढ़ / 2025–26 / 2687-95 दिनाक :– 04 / 12 / 2025

–: प्रशासनिक स्वीकृति :–

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(07)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज–19128072, जयपुर, दिनांक 02.12.2025 द्वारा वर्ष 2025 की बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा प्रतापगढ़ के तहसील प्रतापगढ़ के ब्लाक धमोत्तर के 22 विद्यालय भवनों के लिये राशि रूपये 44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में वर्णित प्रावधानो की अनुपालना में निम्न कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

विद्यालय भवन हेतु

कार्यकारी अभिकरण :–अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा प्रतापगढ़

क्र.स.	तहसील	ब्लाक	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु राशि (लाखो में)
1	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GSSS NARAYANKHEDA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
2	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GOVT SSS MERIYAKHED(OLD)	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
3	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GSSS DEVGARH	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
4	प्रतापगढ़	धमोत्तर	MGGS DEVGRAH	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
5	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GSSS KULMIPURA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
6	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GOVT PS SEVRA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
7	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GUPS DHAWDA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
8	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS DHARANI	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
9	प्रतापगढ़	धमोत्तर	G.P.S BADIDORI	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
10	प्रतापगढ़	धमोत्तर	G.P.S DATLA GHATA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
11	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS JAUKHEDA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
12	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GUPS DHALMU	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
13	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS RICHADI	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
14	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS PIPLAREL	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
15	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS UBABHATA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
16	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS MALA KA TAPRA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
17	प्रतापगढ़	धमोत्तर	PS KALSIYA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
18	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GPS PALKHANDA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
19	प्रतापगढ़	धमोत्तर	G. SEC. TALAYA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
20	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GUPS KHERA NAHARSING MATA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
21	प्रतापगढ़	धमोत्तर	GSSS HANUMAN CHOURA	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
22	प्रतापगढ़	धमोत्तर	PS DHAMOTAR	तात्कालिक मरम्मत कार्य	2.00
	कुल योग				44.00

(अक्षरे रूपये चवालीस लाख मात्र)

नोट :– उक्त कार्यो के तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं:–

1. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों / लोक निर्माण लेखा नियमों तथा सहायता विभाग से समय समय पर जारी दिशा निर्देशो के अनुसार किया जावें एवं समस्त प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत रात्य आपदा मोचन निधि से देय नहीं हैं, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण सुनिश्चित कर लिया जावे।
3. **उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तखमीना दो प्रति में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावे ताकि ऑनलाईन बजट मांग की जाकर बाद बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।**

4. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के पत्र RAJKAJ 16877134 जयपुर दिनांक 30.07.2025 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं एफ.8(07)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज–19128072, जयपुर, दिनांक 02.12.2025 में वर्णित शर्तो की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
5. इस राशि का उपयोग आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में प्रदत्त निर्देशानुसार बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त राजकीय चिकित्सा, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत के लिये ही किया जावेगा।
6. यह स्वीकृति आपद प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर से बजट प्राप्त होने के अद्यधीन होगी।
7. राशि का व्यय सी.आर.एफ. के मानदण्डो के अन्तर्गत किया जावेगा।
8. इन कार्यो के लेखे महालेखाकार तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के निरीक्षण दलों को जॉच हेतु उपलब्ध कराने होगे।
9. बाद व्यय, समस्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र दो–दो प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गयी वर्षा की मात्रा उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारीयों से प्रमाणित करायी जावें एवं क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना हैं, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

(डां. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर एवं नियंत्रक,
जिला आपदा प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांकः सहा. / बाढ़ / 2025–26 / 2687-95 **दिनांक :–** 04 **/ 12 / 2025**

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. जिला प्रमुख महोदय, प्रतापगढ़।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ।
5. अतिरिक्त परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
6. उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
8. कोषाधिकारी प्रतापगढ़
9. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर एवं नियंत्रक,
जिला आपदा प्राधिकरण, प्रतापगढ़

Document certified by Anjali Rajoria <anjali_no_regrets@yahoo.co.in>.
Digitally Signed by ANJALI RAJORIA
Designation : Collector & District Magistrate
Date :04-12-2025 02:02:27

RajKaj Ref No.: 19203688
eSign DSC

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– एफ.8(07)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 203/2025–26</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **प्रतापगढ़** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2138–41 दिनांक 30.10.2025 के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिला, प्रतापगढ़ ब्लॉक धमोत्तर के 22 कार्यो हेतु राशि रूपयें 44.00 लाख **कुल 22 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 44.00 लाख (अक्षरे रूपये चौवालीस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.02 10:51:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19128072

eSign 1.0

2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02— बाढ़, चक्रवात आदि।

107— खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)—(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]—[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21—अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा—निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.02 10:51:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19128072

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, **प्रतापगढ़** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन जाखम परियोजना खण्ड धरियावद तह. धरियावद के बांध/नहर मरम्मत के प्रस्तावों में वृहद सिंचाई परियोजना हेतु राशि की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।
8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, प्रतापगढ़।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.02 10:51:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19128072

eSign 1.0